

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, द्वितीय तल, बिहार, पटना

संचिका सं०:-म०स्था०अरा०(अ०)-04/2020.....808...../मत्स्य/पटना, दिनांक.....25/06/2024/

कार्यालय आदेश

मत्स्य निदेशालय के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मत्स्य विकास पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालयों के अधीन पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	मत्स्य विकास पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नव पदस्थापन कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजकिशोर विद्यार्थी	नालंदा	जिला मत्स्य कार्यालय, भोजपुर (आरा)	मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना	कार्यहित में
2	श्रीमती अनुराधा कुमारी	मुंगेर	जिला मत्स्य कार्यालय, कटिहार	जिला मत्स्य कार्यालय, बेगूसराय	अभ्यावेदन के आधार पर
3	श्री अमरेन्द्र कुमार राजा	पूर्णियाँ	जिला मत्स्य कार्यालय, किशनगंज	यथावत्	पूर्व के प्रतिनियुक्ति आदेश विलोपित
4	सुश्री पूनम कुमारी	सुपौल	जिला मत्स्य कार्यालय, सुपौल	जिला मत्स्य कार्यालय, किशनगंज	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
5	श्री धीरज कुमार	बेगूसराय	जिला मत्स्य कार्यालय, जमुई	जिला मत्स्य कार्यालय, लखीसराय	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
6	श्रीमती दीपा कुमारी-2	मुजफ्फरपुर	जिला मत्स्य कार्यालय, कटिहार	जिला मत्स्य कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	अभ्यावेदन के आधार पर
7	श्रीमती नेहा कुमारी	मोतिहारी	जिला मत्स्य कार्यालय, गोपालगंज	उप मत्स्य निदेशक कार्यालय, पटना परिक्षेत्र, पटना	अभ्यावेदन के आधार पर
8	श्री संतोष कुमार	गया	जिला मत्स्य कार्यालय, नवादा	जिला मत्स्य कार्यालय, जहानाबाद	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
9	श्री अरुण कुमार पासवान	गया	जिला मत्स्य कार्यालय, जहानाबाद	जिला मत्स्य कार्यालय, शेखपुरा	प्रशासनिक दृष्टिकोण से
10	सुश्री विद्या कुमारी	रोहतास	जिला मत्स्य कार्यालय, सहरसा	जिला मत्स्य कार्यालय, भोजपुर (आरा)	प्रशासनिक दृष्टिकोण से

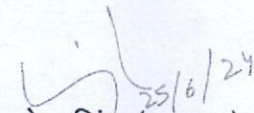
4

6

5/

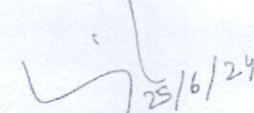
स्थानांतरित सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि नव-पदस्थापित कार्यालय में दिनांक 01.07.2024 तक अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने वाले संबंधित मत्स्य विकास पदाधिकारी नव-पदस्थापित कार्यालय के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे एवं स्थानांतरित सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी का माह-जुलाई 2024 से वेतन का भुगतान नव पदस्थापित कार्यालय से देय होगा। अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित पदाधिकारी को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नव-पदस्थापित कार्यालय में योगदान देने हेतु शीघ्र विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।


तरनजोत सिंह (भा०प्र०से०)
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक:- म०स्था०अरा०(अ०)-04/2020.....808...../मत्स्य/पटना, दिनांक 25/06/2024 /
प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित मत्स्य विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 6. आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य